

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222403

E-mail:dlbrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2018/ 80-89

दिनांक : 6/6/18

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी

इण्डिया प्राइवेट लि.

जयपुर

विषय:- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार-प्रसार के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/अस्पताल/उद्यान, बावड़ियों, मन्दिरों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर Front Lit Flex with Frame लगाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में स्थित बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/अस्पताल/उद्यान/सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय/बावड़ियों/मन्दिरों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर Front Lit Flex with Frame निर्धारित डिजाईन के अनुसार लगाये जाने हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश क्रमांक 23291-98 दिनांक 21.11.2017 द्वारा आगामी 12 माह के लिए आउटडोर मिडिया के तहत Front Lit Flex with Frame लगाने हेतु आपकी फर्म की दरें स्वीकृत की गई हैं। डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) द्वारा Front Lit Flex with Frame लगाने की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

Name of Item	Specification	Unit	Approved Rate
Front Lit Flex with Frame	Printing on Star/LG Equivalent Brand of 300 gsm media solvent Printings of 4 Pass Frame of 1" Square Ms pipe of 2.0 KG Lengths of 20Ft. Installation with GI wire on Top and Bottom	per Sq. Feet	29.00

नोट: उक्त दरों पर नियमानुसार GST पृथक से देय होगा।

डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) द्वारा उक्तानुसार अनुमोदित दरों पर निम्न श्रेणी एवं संख्या के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अन्वये 10 दिवस में कार्य सम्पादित करें:-

क्र.सं.	नगरीय निकाय की श्रेणी	संख्या	प्रत्येक श्रेणी में Front Lit Flex with Frame लगाने की संख्या	कुल संख्या
1	नगर निगम जयपुर	1	25	25
2	शेष नगर निगम	6	15	90
3	नगर परिषद्	34	8	272
4	नगर पालिकाएँ	150	4	600
			कुल	987

शर्तें:-

1. फर्म द्वारा निर्धारित डिजाईन की बताये गये स्थल पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार Front Lit Flex with Frame लगाना होगा।
2. Front Lit Flex with Frame की वास्तविक लम्बाई व चौड़ाई (20x10) वर्ग फीट की गणना की जावेगी।
3. फ्लैक्स पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिंटिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए तथा फ्लैक्स की वॉल माउण्टिंग की जायेगी।
4. फर्म द्वारा लगाये गये Front Lit Flex with Frame के भुगतान का बिल मय प्रत्येक फ्लैक्स की फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन फर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
5. जयपुर शहर में फर्म द्वारा लगाये जाने वाले फ्लैक्स का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रतिनिधी द्वारा किया जाकर प्रमाणन किया जायेगा तथा अन्य स्थानों पर लगाये जाने वाले फ्लैक्स का सत्यापन एवं प्रमाणन Geotagging से प्राप्त सूचना/फोटोग्राफ के आधार पर किया जायेगा। तकनीकी कारणों से यदि Geotagging संभव नहीं हो तो संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणन किया जायेगा।
6. वास्तविक राशि की गणना फ्लैक्स लगाने के आधार पर होगी।
7. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा।
8. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
9. RTTP Act 2012 /Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
10. विवाद की स्थिति में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
11. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 6/6/2018

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2018/ 8084-8289
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
8. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
9. सीएमएआर एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जनसम्पर्क अधिकारी